शंकर वि/s सुरेशचन्द्र
मु.नं. 121/14 वाद

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि..... निर्णय दिनांक
न्यायालय उपजिलाधीश, रेलमगरा प्रकरण संख्या..352/10 वाद
पेशी निर्णय दिनांक 7/2/12 अनबान
शंकर V/s सुरेश

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला – राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या :– 352/2010 वाद
दायर दिनांक :– 17.02.2010
निर्णय दिनांक :– 07.02.2012

1. शंकरलाल पिता पन्नालाल जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/1. नानी बेवा पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/2. भैरुलाल पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/3. रामेश्वरलाल पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/4. प्रेमी पुत्री पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
3. भैरुलाल पिता गणेश जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
4. पन्नालाल पिता प्यारा जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा

– वादीगण

बनाम

1. सुरेशचन्द्र पिता बंशीलाल गुजरगोड (ब्राह्मण) निवासी जवासिया तह० रेलमगरा
2. प्रहलाद पिता गोपीलाल गुजरगोड (ब्राह्मण) निवासी जवासिया तह० रेलमगरा
3/1. प्यारी बेवा नारु जाट, निवासी जवासिया तह० रेलमगरा
3/2. श्रीराम पिता किशोर जाट, दत्तक पुत्र नारुजी जाट निवासी जवासिया, तह० रेलमगरा
4. श्रीराम पिता किशोर जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा

– प्रतिवादीगण

R. Copy claimed

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित अधिवक्ता :– श्री शान्तिलाल जाट, वादी
उपस्थित अधिवक्ता :– श्री चावण्डसिंह शक्तावत, प्रतिवादी

–: निर्णय :–

वादी ने संक्षिप्त में वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जवासिया के आराजी नम्बर 3, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 370, 374, 415, 558, 781/374 कुल किता 13 कुल रकबा 38.15 बीघा भूमियां स्थित है। यहकि वाद पत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित आराजी में वादी संख्या 1, 2, 3 व 4 का 1/5 – 1/5 हिस्से है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/10 – 1/10 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित है। वाद पत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित आराजीयात में पहले वादी संख्या 1 का 1/5, वादी संख्या 2 का 1/5, वादी संख्या 3 का 1/5, वादी संख्या 4 का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 3 व उसके भाई उंकार पिता गुलाब का 1/5 हिस्सा था अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 व उंकार के पिता गुलाब थे व उंकार एवं नारु दोनो ही सगे भाई होकर दोनो का वादपत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित आराजीयात में अर्थात खाता संख्या 150 में 1/5 हिस्सा था, जिससे उंकार ने अपना सम्पुर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया जिससे अब खाता 151 में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का मिलाकर 1/5 हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं जानता है कि वर्तमान खाता संख्या 151 अर्थात वाद पत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित आराजीयात में, उसका 1/10 वां हिस्सा ही है। फिर भी उसने वाद पत्र की चरण कमांक 1 में वर्णित आराजीयात में से आराजी संख्या 558 रकबा 2.18 बिघा में अपना 1/6 हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर विक्रय पत्र दिनांक 08.03.05 को बिल एवज 37500/– रुपये में उक्त आराजी में से 1/6 हिस्सा विक्रय कर विक्रय पत्र निषादित करवा दिया जो गलत निष्पादित करवाया है क्योंकि आराजी संख्या 558 में प्रतिवादी

सत्य फोटो प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर

से 1/6 हिस्सा गलत अंकन कर दिया व गलत है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 1/10 हिस्सा ही विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया। एवं 1/10 वां हिस्सा पर कब्जा प्राप्त कर लिया। तथा प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के अतिचारी नही है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सूनी गई दौराने बहस अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त अनवान के वाद बाबत विभाजन का प्रकरण विचाराधिन है। तब तक उक्त वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का विभाजन तक स्वीकार फरमाया जाने हेतु सहमती व्यक्त की गई। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 ए0 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जवासिया के आराजी नम्बर 558 का विभाजन वाद के निर्णय तक इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि जब तक विधीवत् विभाजन नही हो जावें तब तक प्रवेश नही करें, अतिक्रमण नही करें, और न ही किसी अन्य से करावें। विक्रय नही करें। इसी अनुरुप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(राजेन्द्र ~~उपखण्ड अधिकारी~~)
रेलमगरा

सत्य फोटो प्रतिलिपि

मूल से मिलान किया।

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा (राजसमन्द)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र प्रसाद आर0 ए0 एस0

राजस्व वाद संख्या :—352 / 2010 वाद
दायर दिनांक – 17.02.2010
निर्णय दिनांक :– 07.02.2012

वादीपक्ष :—

1. शंकरलाल पिता पन्नालाल जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/1. नानी बेवा पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/2. भैरुलाल पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/3. रामेश्वरलाल पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
2/4. प्रेमी पुत्री पृथ्वीराज जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
3. भैरुलाल पिता गणेश जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा
4. पन्नालाल पिता प्यारा जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादी पक्ष :—

1. सुरेशचन्द्र पिता बंशीलाल गुजरगोड (ब्राहमण) निवासी जवासिया तह0 रेलमगरा
2. प्रहलाद पिता गोपीलाल गुजरगोड (ब्राहमण) निवासी जवासिया तह0 रेलमगरा
3/1. प्यारी बेवा नारु जाट, निवासी जवासिया तह0 रेलमगरा
3/2. श्रीराम पिता किशोर जाट, दत्तक पुत्र नारुजी जाट निवासी जवासिया, तह0 रेलमगरा
4. श्रीराम पिता किशोर जाट, निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा

<u>वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
उपस्थित अधिवक्ता :– श्री शान्तिलाल जाट, वादी
उपस्थित अधिवक्ता :– श्री चावण्डसिंह शक्तावत, प्रतिवादी

में इस आशय में दिनांक 07.02.2012 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने र आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की जाती है कि ग्राम जवासिया के आराजी नम्बर 558 का विभाजन वाद के निर्णय तक विधिवत् विभाजन नही हो जावें। तब तक प्रवेश नही करें। अतिकमण नही करें न ही अन्य किसी से करावें। विकय नहीं करें। कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

आज दिनांक 07.02.2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रेलमगरा

सत्य फोटो प्रतिलिपि

मूल से मिलान किया।

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा (राजसमन्द)